शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय , इंदौर

कार्यालय दूरभाष नंबरः– 0731–2527383,2527679
ईमेलः–deanmgmmc@mp.gov.in वेबसाईटः–http://www.mgmmcindore.in/

// विज्ञप्ति //

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के अंतर्गत आने वाले संस्थान–एम.जी.एम अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट (MAHSI) इंदौर में कैन्टीन के ठेके हेतु निविदा आंमत्रित की जाती है। उपरोक्त कार्य की अधिक जानकारी निर्धारित वेबसाईट http://www.mgmmcindore.in/ पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन सील बंद लिफाफे में दिंनाक 18/2/20 समय 5.30 तक महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के कार्यालय में जमा करावे।

दिंनाक 04/2/20.

अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय,इंदौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
एवं
संबंद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था
इंदौर (मध्यप्रदेश)

एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट इन्दौर
की कैंटीन के लिये आवेदन फार्म
(2019–2020)

मूल्य रुपये 1,000/–
(प्रति कैंटीन)

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत आने वाले संस्थान एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट इन्दौर की कैंटीन के ठेके की शर्तें एंव नियमावली :–

(A) पात्रता और अर्हता मापदण्ड अनुभव विगत कार्य निष्पादन, तकनीकी क्षमता आदि।

1. ठेकेदार को कैंटीन चलाने हेतु न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्था/शैक्षणिक संस्था/सार्वजनिक/शासकिय संस्थान स्थल पर इस प्रकार के कार्य संचालन का होना चाहिए। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. न्यूनतम आवेदनकार ठेकेदार को कैंटीन चलाने हेतु आवश्यक लाइसेंस/नगर निगम द्वारा जारी गुमास्ता कैंटीन आवंटन की तीथि से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. ठेकेदार व उनके कर्मचारियों का व्यवहार एंव आचरण शालीनता पूर्ण होना चाहिये जिससे कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं आवे।
4. जी.एस.टी. नम्बर एवं पेन नम्बर अनिवार्य।

(B) आवेदन प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर राशि ।

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 1,000/–निर्धारित है यह प्रपत्र इस संस्थान के भण्डार शाखा से 1,000/– नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेब साईट www.mgmmcindore.org से डाउन लोड कर उसका उपयोग किया जा सकता है ऐसी स्थिति में संबंधित को राशि रू. 1,000/–का बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर “अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर” के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार को आवेदन के साथ धरोहर राशि के रुप में सुरक्षा धनराशि रुपये 50,000/– अक्षरी पचास हजार रुपये की राशि “अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर” के नाम, A/C of Tender purchaser से फिक्सड डिपाजिट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की हो, जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष की हो, प्रस्तुत करनी होगी ।
4. ठेका स्वीकृत होने पर संबंधित को छः माह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
5. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पुर्व स्वेच्छा से कैंटीन का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जावेगी ।

(C) आवेदन प्रपत्र प्रस्ताव दरें एवं न्यूनतम दर प्रदायकर्ता का निर्धारण।

1. समस्त इच्छुक आवेदनकर्ता को अपना प्रस्ताव आवेदन प्रपत्र के फार्म (अ) में ही देना होगा। आवेदन के समस्त पृष्ठों एंव संलग्नों पर हस्ताक्षर करना होगा।
2. यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ताओं के अनुदान प्रस्ताव समान है तो ऐसी स्थिति में कार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता के आधार पर कार्य का आवंटन किया जावेगा इस संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। जो की आपको मान्य करना होगा।
3. कैंटीन में कार्यदिवस/शैक्षणिक दिवस में कैंटीन में चाय, नास्ता, भोजन आदि हेतु उपस्थिति की अनुमानित संख्या आवेदन भरने के पूर्व आप स्वयं आकलन करे ।
4. संस्थान द्वारा कुछ सामग्री की मात्रा एवं दरें प्रस्तावित की जा रही है। आवेदनकर्ता सामग्री की गुणवत्ता, वजन एवं निर्धारित शर्तों में किसी भी प्रकार की कमी किये बिना इन दरों को कम करना चाहते है तो वह इन दरों को कम कर सकतें है।

5. कैंटीन का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि कैंटीन संचालक को संचालन हेतु दिया जावेंगा, अन्य क्षैत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित कैंटीन की मासिक अनुदान राशि आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त स्थानो का न्युनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो की निम्नानुसार है :–

क्रमांक	कैंटीन का स्थान	न्युनतम अनुदान प्रतिमाह	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा
01	एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट इन्दौर	10,000/–(दस हजार रू.)	

आवेदनकर्ता द्वारा इच्छुक दरे न्युनतम अनुदान प्रतिमाह के बराबर अथवा इससे अधिक अनुदान का प्रस्ताव 100 रूपये के गुणको में दे सकेगें ।

6. अधिकतम अनुदान प्रतिमाह करने वाले रिस्पोन्सिव आवेदनकर्ता को कार्य आवंटित किया जावेगा।
7. रिस्पोन्सिव दर प्रदायकर्ता का आशय यह है कि वह संस्थान द्वारा जारी समस्त आर्हताओं आदि को पूर्ण करता है एवं उसने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि आदि जमा कर निर्धारित समय में अपना प्रस्ताव आवश्यक संलग्नों सहित प्रस्तुत किया है।

(D) आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक व समय तथा आवेदन खोलने की दिनांक समय व स्थान।

1. आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 18/02/20 समय 5:30 बजे तक निर्धारित है सील बन्द प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कार्यालय में अंतिम समय तक प्राप्त होना चाहिए।
2. आवेदन इस दिन अर्थात अंतिम दिनांक ....को ही समय................ बजे अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कांफ्रेन्स हॉल में खोली जावेगें।
3. जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(E) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रकिया।

इच्छुक आवेदनकर्ताओं को निम्नानुसार प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में अंतिम समय तक प्रस्तुत करना होगे।

(F) प्रस्ताव निम्नानुसार सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावें

➢ **लिफाफा :– A- मे निम्नानुसार रखा जावें।**

- धरोहर राशि रू. 50,000/– फिक्स डिपाजिट ।
- आवेदन प्रपत्र का मूल्य राशि रू. 1,000/– नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (यदि वेब साईट से डॉउन लोड कर आवेदन पत्र का उपयोग किया गया हो)।

➢ **लिफाफा :– B - मे निम्नानुसार रखा जावें।**

- P.F. का लायसेंस।
- E.P.F. का लायसेंस।
- फर्म के 5 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।
- किन्ही दो संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।
- I.S.O 9001:2015 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
- I.S.O 22000:2005 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
- C.A द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न–ऑवर (वित्तीय स्थिति) हो (जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो)।
- शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में कम से कम 2 स्थानों पर कार्यरत हो।

- चरित्र प्रमाण–पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
- आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड) ।
- टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
- नगर निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा कार्य हेतु योग्यता के संबंध में जारी प्रमाण–पत्र/लाईसेन्स।
- जी.एस.टी. नं. एवं पेन नं. अनिवार्य हैं।
- फोटोयुक्त पहचान पत्र – आधार कार्ड या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य हैं।

➢ **लिफाफा :– C - मे निम्नानुसार रखा जावें।**

- वित्तीय प्रस्ताव जो कि आवेदन प्रपत्र के निर्धारित प्रपत्र **"C"**_में पूर्ण स्पष्ट रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित हों, काट छाट स्वीकार नहीं होगी ।

➢ **बडे लिफाफे में लिफाफा A,B,C निम्नानुसार रखें जावे।**

- उपरोक्त समस्त सील बंद लिफाफे एक बडे लिफाफे में बंद करते हुए सील किये जावें।
- प्रत्येक लिफाफे पर कैंटीन हेतु प्रस्ताव एवं लिफाफा क्रमांक भी अंकित होना चाहिए।
- समस्त प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम से जमा किया जाना चाहिए।
- लिफाफे पर आवेदनकर्ता का नाम एंव पूर्ण पता मोबाईल नं. सहित अंकित किया जावें।

(G) अन्य आवश्यक शर्तें ।

1. महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर कैंटीन का ठेका आपके अधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये हैं।
2. तीने वर्ष उपरान्त दोनो पक्षों की सहमति पर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हीं शर्तो पर या संशोधित शर्तो पर आगामी अधिकतम एक वर्ष के लिए एवं इसी प्रकार आगे अधिकतम पॉच वर्ष की समयावृद्धि की जा सकेगी।
3. प्रति वर्ष अनुदान राशि मे नियत 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावेगी तथा पानी व बिजली बिल पृथक से देय होगा।
4. कैंटीन मे विक्रय होने वाली सामग्री की दरे प्रतिवर्ष अधिकतम 10% की दर से दोनो पक्षो की सहमति पर ही बढ़ाई जा सकती है ।
5. कैंटीन का समय प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा । सुबह 07:00 से सुबह 11:00 तक नाश्ता, लंच दोपहर 01:00 से दोहपर 03:00 तक, रात का खाना रात्रि 08:00 से रात्रि 11:00 तक देना होगा एंव चाय ,काफी एंव स्नेक्स 24 घंटे उपलब्ध कराना होगें ।
6. ठेका मंजूर होने के दिवस से एक माह के भीतर, आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात हो जावेगी ।
7. ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा । इसका सम्पूर्ण व्यय सफल आवेदनकार को ही वहन करना होगा।
8. ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को केन्टीन भवन का चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान कैंटीन से हटाकर कैंटीन का चार्ज सात दिवस के अन्दर समिति

संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में 3000/– रू. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा , साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी ।

9. कैंटीन में ईंधन के लिये ठेकेदार द्वारा व्यवसायिक LPG गैस का ही उपयोग किया जाना आवश्यक हैं । डोमेस्टिक LPG गैस कर उपयोग प्रतिबंधित है, उपयोग करते हुए पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी कैंटीन संचालक की होगी ।

10. कैंटीन में ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखना होगें । उनकी पोशाख एकसमान ड्रेस कोड तथा साफ–सुथरी होना अनिवार्य हैं। कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाखून और बालों की सफाई अनिवार्य हैं। कर्मचारी के रूप में रोगी एंव बीमार व्यक्ति तथा बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे। बाल मजदुर रखने पर उसकी समस्त जवाबदारी कैन्टीन संचालक की होगी ।

11. शर्तो के साथ निम्नाकिंत वचन पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) आवेदनकर्ता को देना होगा :

(अ) आवेदनकर्ता शासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेकलिस्टेड घोषित न किया गया हो ।

(ब) मैं घोषणा करता हूँ कि मैंनें आवेदन प्रपत्र एंव आवेदन की शर्तें पूर्णतः पढ़ ली है तथा मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं (आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर एंव दो गवाहों के हस्ताक्षर नाम, पते एंव फोन नं.के साथ होना आवश्यकहै)

अधिष्ठाता/कैंटीन समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किस भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने अथवा आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर 1000 रू. का दण्ड देना होगा।

12. तीन निरीक्षणों में यदि कैंटीन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से 3 माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

13. कैंटीन भवन तथा अन्य स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर की स्वीकृति के नहीं किया जावेगा तथा केन्टीन भवन को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति ठेकेदार की जमा सुरक्षानिधी से की जावेगी ।

14. कैंटीन में शुद्व पानी (R.O. System) की पर्याप्त व्यवस्था ठेकेदार को रखना होगी तथा हाथ धोने के स्थान पर साबुन एंव टावेल रखना होगा । पीने के पानी का एंव हाथ धोने का स्थान अलग–अलग होना चाहिए,जिसकी व्यवस्था कैंटीन संचालक को स्वयं को करनी होगी ।

15. कैंटीन में बिडी, सिगरेट, तम्बाकू आदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विकय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेगें । ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर कैंटीन में उपयोग करने के लिये अनुमति नहीं देगा । किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पाये जाने पर 1,000 रू. का आर्थिक दण्ड देना होगा । मादक पदार्थ के प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाने होगे ।

16. कैंटीन समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बंद होने की अवस्था में यथा संभव 3 दिन पूर्व सूचना अधिष्ठाता को लिखित रूप में देनी होगी ।

17. कैंटीन का छः माह का अग्रिम अनुदान राशि कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के भीतर लेखा शाखा चिकितसा महा विद्यालय में जमा कराना होगा । तद्उपरांत प्रतिमाह की प्रथम तरीख को/अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस संस्था की लेखा शाखा में प्रत्येक माह का किराया जमा कराना होगा । अनुदान राशि विलम्ब होने पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन के मान से शुल्क जमा करना होगा।

18. कैंटीन संचालक को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVCL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाना होगा । जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रुप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVCL की व्यवसायिक दर से देय होगा। MPPKVCL द्वारा दरें वृद्धि करने पर तद्नुसार वृद्धि की जावेगी।

19. कैंटीन में एक सुझाव/शिकायत पेटी लगाई जावेगी जिसे महाविद्यालय की कैंटीन समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिमाह खोला जावेगा एंव अधिष्ठाता की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी ।

20. ठेकेदार को संलग्न सूची में निर्धारित वजन,मात्रा एंव दर के अनुसार खाद्य सामग्री ताजे रूप से तैयार करते हुए कैंटीन रखना होगी। जिन सामग्री की दरें निर्धारित नहीं की जा रही है ऐसी सामग्री के अतिरिक्त विभिन्न निर्माणकर्ताओं द्वारा बनी हुई पेक सामग्री उस पर मुद्रीत एम.आर.पी. पर अंकित दरों पर अथवा उससे कम पर प्रदाय करना होगा।

21. दर सूची एवं सामग्री की मात्रा का प्रकाशन कैंटीन काउन्टर के पटल पर पेन्ट द्वारा लिखकर दर्शाना होगी ।

22. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को रहेगा ।
23. कैंटीन में उपयोग कि जाने वाली कच्ची सामग्री एवं बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसी भी समय शासन के सक्षम अधिकारी/संस्थान के अधिष्ठाता/संस्था अधिष्ठाता द्वारा इस हेतु बनाई गई समिति द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है यह प्रकिया बनी हुई सामग्री वजन आदि के लिए मान्य होगी।
24. ठेकेदार को कैंटीन के उपयोग के लिये उत्तम किस्म के आवश्यक फर्नीचर (सनमायका टॉप) स्टेनलेस स्टील के बर्तन व उच्च प्रकार की काकरी आदि की व्यवस्था स्वंय करना होगी । प्लास्टिक बर्तन /डिस्पोजेवल का उपयोग वर्जित रहेगा । चाय एवं काफी के लिए सफेद रंग के क्राकरी के कप ,प्लेट ही उपयोग किये जावे
25. कैंटीन के फर्श, फर्नीचर आदि की हमेशा नियमित सफाई रखनी होगी । खाद्य सामग्री को जालीदार अथवा कांच की अलमारी में बन्द कर रखना होगा । कैटरिन कार्य के समापन के पश्चात उक्त स्थान की व आसपास के एरिया में भी स्वय के खर्च पर साफ–सफाई करवानी अनिवार्य होगी । कैंटीन में कवर युक्त डस्टबीन ही रखे जावे।
26. कैंटीन में प्रदाय किये जाने वाले पदार्थ शुध्द एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जावे । इस संबंध में अधिष्ठाता या संबंधित संस्था के संबंधित अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा ।
27. आदेश दिये जाने पर खाद्य सामग्री व चाय आदि महाविद्यालय में अधिष्ठाता कार्यालय एंव विभागों में स्वय ठेकेदार को भेजने की व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
28. खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की कच्ची सामग्री उपयोग करते हुए बनाना होगा। रिफाईन्ड तेल का उपयोग करना होगा। ताजी सब्जीयॉ, दूध, दही, आदि का ही उपयोग करना होगा। एक दिन पुर्व की बनी हुई खाध सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा । कैंटिन मे मासाहारी खाद्य पदार्थ (मांस,मछली,इत्यादि) का बनाना एवं खाना (किसी भी रूप मे) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
29. आपको कैंटीन में केवल वही खाद्य सामग्री का विक्रय करना होगा जिनकी सामग्रीवार दरें प्रथमतः निर्धारित की जा रही है। निर्धारित समस्त सामग्रिया प्रत्येक दिवस मांग पर उपलब्ध करानी होगी। अतिरिक्त सामग्री अधिष्ठाता की अनुमति के बिना रखना वर्जित रहेगा। उंल्लघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर रु. 1000/–का जुर्माना लिया जावेगा।
30. संस्थान में समय–समय पर होने वाले बैंठकों कार्यशालाओं, अन्य आयोजनों पर आदेशित सामग्री एवं उनसे संबंधित समस्त निर्देशित व्यवस्थाएं आपको करना होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
31. ठेकेदार को कैंटीन स्वंय चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा । ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
32. संस्थान द्वारा जारी शर्तो के अतिरिक्त, ठेकेदार की किसी भी शर्त को स्वीकार नही किया जावेगा।
33. कैंटीन में किसी भी प्रकार का उपद्रव ,आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा । कैंटीन में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकदार का ही कर्त्तव्य होगा ।
34. कैंटीन में कोल्डड्रिंक्स ,आईसकीम एंव दूध व अन्य खाद्य सामग्री को रखने के लिये फ्रिज एंव चीलर आवश्यक रुप से रखना होगा।
35. कैंटीन में प्रयोग की जाने वाली चटनीयॉ व सलाद प्रतिदिन ताजा होना चाहिए तथा ट्मेटो सॉस ब्रांडेड होना चाहिए ।
36. कैंटीन में ठंडे खाने को गर्म करने हेतु एक माइकोवेव ओवन की व्यवस्था करनी होगी।
37. कैंटीन तथा उससे संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ–सफाई एंव अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। इसका समस्त व्यय उसे ही करना होगा। नगर–निगम व शासन की साफ–सफाई हेतु समस्त नियमनावाली का पालन करना होगा, अन्यथा उक्त शासन के उपक्रम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का जवाबदार कैंटीन संचालक स्वयं रहेगा ।

38. सामग्री के टेबल अथवा संस्थान परसिर में आदेशित स्थान पर सामग्री व्यवस्थित रूप से पहुचाने एवं उसके सर्विस करने तथा उपयोग उपरान्त साफ–सफाई करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

39. कैंटीन में जो कर्मचारी रखें जावेगें उनकी सूची ,फोटो, पते एंव फोन न. आदि अधिष्ठाता कार्यालय में समय–समय पर देना होगें,बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा ।

40. ठेकेदार एंव कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वंय ही जवाबदार होगा ।

41. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को उपरोक्त शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है ।

42. कैंटीन ठेके अनुशासन या विवाद आदि में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को बंधनकारक होगा ।

43. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्व अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा ।

44. संस्थान को किसी भी प्रकार की बकाया राशि ,जमा की गई सुरक्षा धन राशि में से वसूल की जावेगी ।

45. किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा ।

46. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।

47. आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एंव सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। कांट–छांट नही होना चाहिए । अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत की जावेगी।

अधिष्ठाता
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा कैंटीन ठेके के संबंध में जारी समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ व समझ ली है, जो मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :– ....
नाम एवं पूर्ण पता :– ....
....
संस्था का नाम..
संस्था की सील..
दिनांक:–..

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र–अ

धरोहर राशि का विवरण (प्रारूप)

1. संस्था का नाम जिसमे कैंटीन हेतु अवेदन किया गया ....
2. राशि रू ....
3. एफ.डी.आर (3 वर्ष) की अवधि (केवल राष्ट्रीयकृत बैंक)..............................
4. जारी होने का दिनांक ....
5. जारी करने वाले बैंक का नाम व शाखा का नाम/पता ....

....

6. भुगतान का स्थान..............................

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :– ....

नाम एवं पूर्ण पता :– ....

....

संस्था का नाम..............................

संस्था की सील..............................

दिनांकः–.............................. ....

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र–ब

संस्था का नाम जिसमे कैंटीन हेतु अवेदन किया गया ....

- **लिफाफाः– B - मे निम्नानुसार रखा जावें।**

1. P.F. का लायसेंस।
2. E.P.F. का लायसेंस।
3. फर्म के 5 वर्ष का स्थापना का लायसेंस।
4. किन्ही दो संस्थानों को फुड लायसेंस जो कि वर्तमान में कार्यरत हो।
5. I.S.O 9001:2015 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
6. I.S.O 22000:2005 का लायसेंस अनिवार्य रहेगा।
7. C.A . द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें की प्रतिवर्ष 3 करोड़ का मिनिमम टर्न–ऑवर (वित्तीय स्थिति) हो (जो कि सिर्फ केटरिंग कार्य से हो)।
8. शासकीय कार्य के अनुभवी को प्राथमिकता जो कि वर्तमान में कम से कम 2 स्थानों पर कार्यरत हो।
9. चरित्र प्रमाण–पत्र सर्टिफिकेट (कार्यरत संस्थान द्वारा प्रमाणित)।
10. आवेदन पत्र में उल्लेखित वचन पत्र (नोटराईज्ड) ।
11. टेण्डर फार्म प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया हुआ हो।
12. निगम/सक्षम अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र/लाईसेन्स/गुमास्ता की प्रतिलिपि।
13. जी.एस.टी. नम्बर एवं पेन नम्बर दोनो अनिवार्य हैं ।
14. फोटोयुक्त पहचान पत्रः– आधार कार्ड, या ड्रायविंग लाइसेंस अनिवार्य हैं ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :– ....

नाम एवं पूर्ण पता :– ....

....

संस्था का नाम..

संस्था की सील..

दिनांकः–..

महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

प्रपत्र–स

संस्था का नाम जिसमे कैंटीन हेतु अवेदन किया गया ....

- **दर सूची जो कि आवेदनकार द्वारा स्पष्ट अक्षरो में भरकर एवं हस्ताक्षर कर एवं सील लगाकर लिफाफा "C" में रखी जावेगी ।**

1. (अ) संस्थानो के इस कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थानो का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि केंटीन संचालक को संचालन हेतु दिया जावेंगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित कैंटीनो का अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त स्थानो का न्युनतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो की निम्नानुसार है :–

क्रमांक	केंटीन का स्थान	न्युनतम अनुदान प्रतिमाह	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा
01	एम.जी.एम. अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट इन्दौर	10,000/–(दस हजार रू.)	

(ब) सामग्री की दरे ।

कमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर रू. अंको में
1	पोहा सेव सहित	100 ग्राम	10
2	कचोरी	70 से 80 ग्राम	10
3	समोसा	70 से 80 ग्राम	10
4	आलुबड़ा	70 से 80 ग्राम	10
5	वेज कटलेट	80 से 90 ग्राम	15
6	उपमा	100 ग्राम	20
7	खमण	100 ग्राम	20
8	बटर टोस्ट (2 पीस) स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	15
9	सेन्डविच टोस्टेड चीज दो ब्रेड स्लाइस स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	30
10	सेन्डविच टोस्टेड वेज दो ब्रेड स्लाइस स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	20
11	इडली सांभर–1 प्लेट, 2 इडली,सांभर,चटनी (न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	25
12	मसाला डोसा –1 प्लेट, चटनी,सांभर (न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	35
13	वडा सांभर 1 प्लेट चटनी(न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	30
14	उत्तपम 1 प्लेट चटनी(न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	20
15	सादा डोसा – 1 प्लेट,चटनी,सांभर (न्यूनतम वजन 150 ग्राम)	1 प्लेट	25
16	बेक समोसा/आलू पेटीस	70 से 80 ग्राम	10
17	बेक समोसा/आलू पेटीस (सेव, चटनी, टमाटर सोस, प्याज आदि के साथ बनाकर	न्यूनतम 100 ग्राम	15

18	आलू पराठा / मैथी पराठा / गौभी पराठा आचार,सॉस के साथ – 1	100 से 125 ग्राम	20
19	वैज बिरियानी	100 ग्राम	20
20	दही, न्यूनतम 100 ग्राम	1 प्लेट	10
21	भोजन–चार रोटी (80–100 ग्राम) दो सब्जी (एक हरी सब्जी सहित),दाल,चावल, प्रत्येक न्यूनतम 50 ग्राम अचार,सलाद,पापड अतिरिक्त रोटी प्रति नग रू 5	01 थाली	50
22	भोजन–चार रोटी (80–100 ग्राम) एक सब्जी ,दाल,चावल, प्रत्येक न्यूनतम 50 ग्राम , अचार , सलाद अतिरिक्त रोटी प्रति नग	01 थाली	40
23	पेक लांच– 4 पराठा (80–100ग्राम) दो सब्जी (एक हरी सब्जी) दाल,पुलाव, दही /रायता, मिठाई प्रति नग न्युनतम 40 ग्राम,अजार,सलाद,पापड़ अलग–अलग पेकिंग में डिस्पोजेबल चम्मच एवं पेपर नेपकिन सहित अच्छी किस्म की पेकिंग में ।	01 पेकेट	100
24	चाय	50 मिली	6
25	चाय	100 मिली	12
26	कॉफी नेस्केफे	50 मिली	10
27	कोल्ड कॉफी	200 मिली	30
28	कॉफी नेस्केफे	100 मिली	20
29	साबूदाना खिचडी	100 ग्राम	20
30	लस्सी / (सांची / अमूल)	साची / अमूल द्वारा निर्धारित पैकिंग में	Up to MRP
31	पेस्ट्री	100 ग्राम	10
32	पिज्जा	200 ग्राम	50
33	पाइनेपल ज्यूस	200 मिली	20
34	मेंगो ज्यूस	200 मिली	30
35	संतरे ज्यूस	200 मिली	30
36	मौसमबी ज्यूस	200 मिली	30
37	नारियल पानी	200 मिली	30
38	मैगी	100 ग्राम	30
39	नूडल्स	100 ग्राम	40
40	मॅनचुरियन	100 ग्राम	40
41	गाजर हलवा	100 ग्राम	25
42	सदा भजिये	100 ग्राम	20
43	मुंग भजिये	100 ग्राम	20
44	पनीर टिक्का	100 ग्राम	50
45	चिली पनीर	100 ग्राम	50
46	पंजाबी पनीर	100 ग्राम	50
47	शाही पनीर	100 ग्राम	50
48	दही बड़ा	100 ग्राम	20

49	रोटीः– तंदुरी,	1 नग	5
50	तवा रोटी	1 नग	4
51	मिस्सी रोटी	1 नग	6

शासन/स्थानीय निकाय द्वारा लगाये गये/लगाये जाने वाले समस्त कर उक्त राशि में सम्मिलित है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :– ....
नाम एवं पूर्ण पता :– ....
....
संस्था का नाम..
संस्था की सील..
दिनांकः–..